दिनांक 06.02.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान ने निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक सुराज अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन, सौभाग्य योजना, पेयजल व्यवस्था, साफ–सफाई व्यवस्था, उद्यान, वार्डों में चल रहे विकास कार्य, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता, राजस्व वसूली, सहित अन्य योजनाओं के संबंध में समस्त जोन आयुक्त, सहायक अभियंता, उप अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, लोककर्म पर्यवेक्षक सहित विभाग प्रमुखों की बैठक आहूत कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त श्री चौहान ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन मकानों में विद्युत कनेक्शन नहीं है उन मकानों का सर्वे कर सत्यापित सूची तैयार करने हेतु निगम, छ0ग0 राज्य विद्युत मण्डल, एवं बीएसपी के अधिकारी, कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन किया गया है उक्त अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा वार्डवार, क्षेत्रवार सर्वे कार्य कर सूची तैयार किया जावेगा। निगम क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे स्थलो का सर्वे का कार्य किया जाना है– खुर्सीपार भिलाई–केम्प–01, सेक्टर–04, 05, 06, 10, माया नगरी, माया पुरी रिसाली भिलाई, सेक्टर–07 भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास, नेवई भाठा महिला सोसायटी के पास नेवई बस्ती वार्ड 42 यादव पारा, स्टेशन मरोदा शीतला पारा ठाकुर ट्रान्सफार्मर के पास, एचएससीएल कालोनी फौजी किराना रंगारी ट्रान्सफार्मर भैंस खटाल एवं इंदिरा चौक टंकी मरोदा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निगम क्षेत्र में पूर्ण, अपूर्ण एवं निर्माणाधीन मकान के संबंध में समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने नोडल अधिकारी से निगम क्षेत्र के अंतर्गत जोनवार पात्र हितग्राहियों के संबंध में जानकारी से अवगत होते हुए समस्त जोन आयुक्तों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने–अपने वार्ड में सर्वे कार्य कर शासन की इस महती योजना के संबंध में नागरिकों को अवगत करावें तथा पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाये जाने के संबंध में आवेदन जमा करावें। लोक सुराज अभियान 2018 के तहत् प्राप्त आवेदनों के संबंध में जोनवार समीक्षा की। स्वास्थ्य अधिकारी ने निगम क्षेत्र में चल रहे सफाई व्यवस्था से निगम आयुक्त श्री चौहान को अवगत कराया। निगम आयुक्त ने बैठक में अनिवार्य रुप से समस्त विभाग प्रमुखों को आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिये।

जनसम्पर्क अधिकारी